न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 150 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. रतनलाल पुत्र हिरालाल जाति माली निवासी सोजत सिटी जिला पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. **श्री पूनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित**
2. **तहसीलदार सोजत उपस्थित**

दिनांक – 29/08/2024

–: **निर्णय** :–

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 4381 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.1300 हैक्टर की आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई है। राजस्व रेकर्ड में सहवन से स्लिप ऑफ पैन से राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का रतना पुत्र हिरा अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रतनलाल पुत्र हिरालाल है। प्रार्थी के लोक दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहिचान पत्र, बैंक डायरी इत्यादि में रतनलाल पुत्र हिरालाल ही अंकित है। गलत नाम अंकित होने से प्रार्थी को बैक लॉन व अन्य सरकारी योजनाओं में लाभ नही मिलता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 4381 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.1300 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रतनलाल पुत्र हीरालाल दुरूस्त रूप से इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहने से जबाब का अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 4381 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.1300 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम रतना पुत्र हीरा के स्थान पर रतनलाल पुत्र हिरालाल दुरूस्त रूप से दर्ज किए जाने की ईशतदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्टानुसार प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रतनलाल पुत्र हिरालाल होने की सम्पुष्टि होती है। तदोनुसार उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त इन्द्राज किया जाना न्यायोचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

-: आदेश :-

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 4381 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.1300 हैक्टर में गलत इन्द्राज रतना पुत्र हिरा के स्थान पर रतनलाल पुत्र हिरालाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है तदोनुसार राजस्व रकर्ड में अमल दरामद किया जावें । शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत